न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 141 / 2020

1. अनीता पुत्री श्रीचन्द
2. अमरचन्द पुत्र चुन्नीलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र चिरंजी
4. कडकल्ली पुत्र शिम्भु
5. छतरवती पुत्री चुन्नीलाल
6. छोटेलाल पुत्र गोरधन
7. छोटेलाल पुत्र चुन्नीलाल
8. दुलीचन्द पुत्र मवासी
9. देवीराम पुत्र श्रीचन्द
10. धौली पत्नि चिरंजी
11. नैमीचन्द पुत्र मवासी
12. पन्नीलाल पुत्र गोरधन
13. पनी पत्नि श्रीचन्द
14. प्रकाश पुत्र चिरंजी
15. फूलवती पुत्री चुन्नीलाल
16. बनवारी पुत्र बन्शी
17. ब्रदी पुत्री बन्शी
18. कुन्दन पुत्र बन्शी
19. वीरवती पुत्री श्रीचन्द
20. भोबल पुत्र गोरधन
21. रूपन पुत्र मवासी
22. रूपराम पुत्र मवासी
23. राजेन्द्र पुत्री बिरजी राम
24. राजेन्द्र पुत्र चिरंजी
25. राजवती पुत्री श्रीचन्द
26. राजवीर पुत्र बिरजी राम
27. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द
28. लेखराज पुत्र बिरजीराम
29. श्याम लाल पुत्र बिरजीराम
30. समयचन्द पुत्र चुन्नीलाल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

31. हुकम चन्द पुत्र चिरंजी जातियान प्रजापत (कुम्हार) निवासी डाबरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाड़ी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 24.03.2021

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा 149/0.97, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07,114/0.22, 266/0.24, 19/0.19, 60/0.16, 65/0.13,102/0.32, 283/0.19,42/0.23, 206/0.52, 298/0.89, 303/0.25, 8/1.30, 93/0.30, 124/0.44 बांके ग्राम डाबरा हाल खसरा नम्बर 234/0.97, 118/0.28, 130/0.07, 181/0.22, 422/0.24, 255/0.33, 40/0.11, 423/0.24, 119/0.13, 180/0.21, 257/0.34, 41/0.19, 115/0.16, 121/0.13, 258/0.32, 445/0.19, 83/0.23, 315/0.52, 468/0.79, 471/0.25, 18/0.45, 19/0.07, 20/0.78, 154/0.29, 155/0.01, 194/0.44 बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज काश्तकार बन्शी पुत्र शम्भू फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वादी संख्या 16,17, 18 पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं हरभेजी पत्नि चुन्नीलाल फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान पहले से ही दर्ज है। जिन्हे पक्षकार बना लिया गया है। विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर वादीगण के बुजुर्गान वाहैसियत खातेदार के रूप में अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जे काश्त की उनके मरने के बाद वादीगण मुताबिक हिस्सा खातेदार की हैसियत से कब्जे काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान आराजी पर काश्त करते रहे और हाल में वादीगण का कब्जा व काश्त है। वादीगण निरन्तर रूप से खातेदार की हैसियत से आराजी पर काबिज है। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार नही होकर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। आराजी संलग्न रिकॉर्ड से साबित है। कि पुश्तैनी आराजी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 05.03.2021 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। संलग्न नकल जमाबन्दी 2009 लगायत 2012 में आराजी वादीगण के बुजुर्गान के नाम मौरोसी के रूप में दर्ज है। जिस पर वादीगण के बुजुर्गान ने कब्जे काश्त की और उसके बाद वारिसान वादीगण का लगातर कब्जा चला आ रहा है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही बुजुर्गान वादीगण की मौरोसी की आराजी थी और अब वादीगण के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है। मुताबिक कानून वादीगण को खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी कस्टोडियन नही है एवं धारा 16 के तहत नहीं आती है एवं आराजी पर वादीगण फसल बोते है। अतः वादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया वादीगण की की पुश्तैनी आराजी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3:– दादरसी :–

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 अनीता , पी0डब्लू02 अमरचन्द, पी0डब्लू0 3 ओमप्रकाश, पी0डब्लू0 4 छत्रवती, पी0डब्लू0 5 छोटेलाल, पी0डब्लू0 6 छोटेलाल, पी0डब्लू0 7 दुलीचन्द, पी0डब्लू0 8 धौली, पी0डब्लू0 9 पन्नीलाल, पी0डब्लू0 10 पुनी, पी0डब्लू0 11 फूलवती, पी0डब्लू0 12 बनवारी, पी0डब्लू0 13 भोवल, पी0डब्लू0 14 रूपन, पी0डब्लू0 15 राजवीर,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पी0डब्लू0 16 लक्ष्मण, पी0डब्लू0 17 हुकम, पी0डब्लू0 18 समयचन्द के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2009 लगायत 2012, 2017 लगायत 2020, 2037 लगायत 2040, 2042 लगायत 2045, 2050 लगायत 2053, 2054 लगायत 2057, नकल मिलान क्षेत्रफल बांके ग्राम डाबरा नकल जमाबन्दी 2075 लगायत 2078 , खाता संख्या 184, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206, है।

बहस वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। विवादित आराजी बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादीगण उक्त आराजी पर गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के मुताबिक आराजी वादीगण के बुजुर्गान की मौरोसी की आराजी थी। ऐसी स्थिति उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या :– 2</u> उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादीगण का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007 (1) पेज संख्या 599 पेश की है। इसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम 2015 धारा 15 ए 230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना । यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने के समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी खातेदार के रूप दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा अतः वादीगण आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। परन्तु खसरा संख्या 19/0.07 की किस्म राजस्व रिकार्ड अनुसार गैर मुमकिन सड़क दर्ज है। इसलिए इस खसरे पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। अतः यह तनकी भी आंशिक रूप से वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा 149/0.97, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07,114/0.22, 266/0.24, 19/0.19, 60/0.16, 65/0.13,162/0.32, 283/0.19,42/0.23, 206/0.52, 298/0.89, 303/0.25, 8/1.30, 93/0.30, 124/0.44 बांके ग्राम डाबरा हाल खसरा नम्बर 234/0.97, 118/0.28, 130/0.07, 181/0.22, 422/0.24, 255/0.33, 40/0.11, 423/0.24, 119/0.13, 180/0.21, 257/0.34, 41/0.19, 115/0.16, 121/0.13, 258/0.32, 445/0.19, 83/0.23, 315/0.52, 468/0.79, 471/0.25, 18/0.45, 20/0.78, 154/0.29, 155/0.01, 194/0.44 बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 141/2020

अनीता वगैराह बनाम सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा 149/0.97, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07,114/0.22, 266/0.24, 19/0.19, 60/0.16, 65/0.13,162/0.32, 283/0.19,42/0.23, 206/0.52, 298/0.89, 303/0.25, 8/1.30, 93/0.30, 124/0.44 बांके ग्राम डाबरा हाल खसरा नम्बर 234/0.97, 118/0.28, 130/0.07, 181/0.22, 422/0.24, 255/0.33, 40/0.11, 423/0.24, 119/0.13, 180/0.21, 257/0.34, 41/0.19, 115/0.16, 121/0.13, 258/0.32, 445/0.19, 83/0.23, 315/0.52, 468/0.79, 471/0.25, 18/0.45, 20/0.78, 154/0.29, 155/0.01, 194/0.44 बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X .....को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.03. सन् 2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत .....
ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	.....	4.00		मीजान	.....		

Scanned with OKEN Scanner